संख्या-53/2025/675/छप्पन-2025-43/2015-56-1002/11/2019

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2025

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता A109S, VT-UPL के अनुरक्षण हेतु स्पेयर्स क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32/ना0उ0नि0/इंजी/(यू0पी0एल0)/01-आई/2025 दिनांक 13 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र में किए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता A109S, VT-UPL के अनुरक्षण हेतु Spares यथा ANEMOMETER; REPAIRED और WHELL ASSY, LANDING GEAR: NEW तथा ALTIMETER, CODER; REPAIRED (UNDER EXCHANGE) को M/s. Leonardo Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia से प्राप्त कोटेशन / ऑफर संख्या-276338 & 276328 दिनांक 12.04.2025 के अनुसार क्रय करने पर होने वाले व्यय यू०एस० डालर 95,577.14 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 87/-प्रति यू०एस० डालर की विनिमय दर से कुल रू० 83,15,211.00 (रूपये तिरासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ ग्यारह मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं क्रयादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त प्राप्त इन्वाइस के अनुसार अग्रिम आहरण एवं भुगतान किये जाने की स्वीकृति एवं ALTIMETER, CODER P/No. 3A67-32-20F-05-1KR को वापस भेजने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या: 53/2025/675(1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in